Annex - (16)

प्रेषिका,

प्रीति श्रीवास्तव–III,
अपर जनण्द न्यायाधीश,
न्याय कक्ष संख्या–1, मिर्जापुर।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
मिर्जापुर।

महोदय,

ससम्मानपूर्वक महोदय द्वारा दिनांक–09.11.2021 को किये गये आकस्मिक निरीक्षण आख्या में मांगे गये स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में निवेदन है कि मैं दिनांक–03.11.2021 का आकस्मिक अवकाश व मुख्यालय छोड़ने की अनुमति लेकर दीपावली अवकाश में जनपद गोरखपुर गई थी, परन्तु अपरिहार्य कारण से दिनांक–08.11.2021 को न्यायालय उपस्थित नहीं आ सकी थी। मैं दिनांक–09.11.2021 को न्यायालय समय से उपस्थित आ गई थी। अपने विश्राम कक्ष में अवकाश प्रार्थनापत्र और उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर करने के बाद ही मैं डायस पर बैठ गई थी। वहॉ पर कुछ पत्रावलियॉ देखकर और कुछ में पुकार लगवाकर मेरे द्वारा ए.डी.जी.सी. एवं पेशकार को निर्देश दिये गये। उस समय किसी भी पत्रावली में कोई उपस्थित नहीं था। मेरे अवकाश पर रहने के कारण इन्फ्रा से सम्बन्धित कुछ रिपोर्ट एवं माननीय उच्च न्यायालय के कागजात लेकर कोर्ट मैनेजर 10.28 बजे मेरे न्यायालय में उपस्थित आये। चूँकि न्यायालय में उस समय आवश्यक निर्देश मेरे द्वारा पेशकार को दे दिया गया था और किसी भी पत्रावली में उस समय कोई उपस्थित नहीं था। इन्फ्रा एवं जन सूचना से सम्बन्धित आवश्यक कार्य को देखते हुए मैं डायस से उतरकर विश्राम कक्ष में आ गयी थी तथा 10–15 मिनट में कार्य समाप्त करने के बाद लगभग 10.50 बजे मैं पुनः डायस पर बैठ गई तथा लन्च तक बैठकर न्यायिक कार्य का सम्पादन किया और पुनः लन्च बाद 2.00 बजे डायस पर बैठकर मेरे द्वारा न्यायिक कार्य सम्पादित किया गया।

निरीक्षण आख्या में यह अंकित है कि लिपिक ने बताया कि पीठासीन अधिकारी विश्राम कक्ष में हैं। उक्त के सम्बन्ध में कार्यालय में कार्यरत लिपिकगण दिनेश कुमार व मोहित कुमार से पूछने पर उनके द्वारा यह बताया गया कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय कार्यालय में नहीं आये थे। उन्होंने हम लोगों से न तो बुलाकर कुछ पूछा और न ही हम लोगों ने ऐसा कुछ उन्हें अवगत कराया था। न्यायालय में उपस्थित रीडर/पेशकार से भी इस सम्बन्ध में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि माननीय जनपद न्यायाधीश न्यायालय में नहीं आये थे और न ही उनके द्वारा मुझ से कोई पूछ ताछ किया गया।

उक्त आख्या माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीया,

10.11.21

दिनांकः10.11.2021

(प्रीति श्रीवास्तव–III)
अपर जनपद न्यायाधीश,
न्याय कक्ष संख्या–1, मिर्जापुर।